छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
छठवीं मंजिल टावर "सी" कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
दर–216/30.10.2000 **सी.बी.डी. सेक्टर 21, मुख्यालय, अटल नगर, जिला–रायपुर 492002**
Website –www.markfed.cg.inic.in, E- Mail Id :-Mf_ctrlroom_raipur@gov.in, cgmarkfedtax2023@gmail.com, contact no. – 0771-2425426

क्रमांक/लेखा/कराधान/ 323 /6134 /2025 न.रा.अ.न. 07/03/2025

रूचि की अभिव्यक्ति

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन सघ मर्यादित मुख्यालय का जी.एस.टी. (क्रमांक 22AAAAC0934E1ZJ) का एकीकृत विवरणी दाखिला तथा मुख्यालय एवं अधीनस्थ 34 जिला इकाई कार्यालयों (जी.एस.टी. टी.डी.एस. क्रमांक पृथक–पृथक) का माहवार विवरणी दाखिला से संबंधित समस्त कार्यवाही किये जाने के लिए पंजीयक सहकारी संस्थाऐं छ.ग. में सूचीबद्ध सनदी लेखाकार फर्मो से दरे प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। यह दरें वित्तीय वर्ष 2025–26 (अवधि 01–04–2025 से 31–03–2026 तक) के लिए प्रभावशील होगी। विस्तृत शर्ते कार्यालय की वेबसाईड **www.markfed.cg.inic.in,** में उपलब्ध है।

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 25/03/2025 समय 12 बजे।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

27/02/25

(मो. इमरान खान)
मुख्यलेखाधिकारी
सह वित्तीय नियंत्रक

रूचि की अभिव्यक्ति

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन सघ मर्यादित मुख्यालय का जी.एस.टी. (क्रमांक 22AAAAC0934E1ZJ) का एकीकृत विवरणी दाखिला तथा मुख्यालय एवं अधीनस्थ 34 जिला इकाई कार्यालयों (जी.एस.टी. टी.डी.एस. कमांक पृथक–पृथक) का माहवार विवरणी दाखिला से संबंधित समस्त कार्यवाही किये जाने के लिए सनदी लेखाकार फर्मो से दरे प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। यह दरें वित्तीय वर्ष 2025–26 (अवधि 01–04–2025 से 31–03–2026 तक) के लिए प्रभावशील होगी। प्रस्ताव की शर्ते निम्नानुसार हैः– किया जाता हैः–

जी.एस.टी. एवं जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. संबंधी कार्य हेतु

A. अनिवार्य योग्यतायें:–

(1) सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत् पंजीकृत 01 से अधिक पार्टनर वाली सनदी लेखाकार फर्म जिसका मुख्यालय/शाखा छ.ग. मे हो।

(2) सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा पंजीयन दिनांक से न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली गई हो।

(3) सी.ए. फर्म में न्यूनतम 05 सी.ए. पार्टनर के रूप में होना चाहिए, जिनमे से न्यूनतम 02 एफ.सी.ए. फुलटाईम पार्टनर होना आवश्यक है।

(4) हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक है।

(5) सनदी लेखाकार फर्म में न्यूनतम 10 प्रोफेशनल स्टाफ (With Article) होना आवश्यक है।

(6) ऐसी फर्म जिसे शासकीय/अर्धशासकीय संस्था जिसका कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में (अवस्थित) हो, का GST & GST TDS रिटर्न दाखिला का 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है तथा इसकी पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

(7) सी.ए. फर्म पंजीयक सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़ में सूचीबद्ध हो।

(8) सी.ए. फर्म का कार्यालय जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है।

(9) सी.ए. फर्म को ऐसी संस्था जिसका Turnover 500.00 करोड़ या उससे अधिक का हो के GSTR-1 GST रिटर्न दाखिला का अनुभव होना अनिवार्य है तथा इसकी पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

(10) सी. ए. फर्म का सी.ए. संबंधित कार्यों से औसतन वार्षिक Turnover 50 लाख या उससे अधिक हो (Last 03 Years में से किसी 02 Years में) का होना अनिवार्य है तथा इसकी पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

क्रमशः ... 2 ...

B. कार्य की प्रकृति :–

(1) जी.एस.टी. रिटर्न दाखिला हेतु विपणन संघ मुख्यालय (1), पशु आहार संयंत्र (1) तथा समस्त जिला इकाईयों (33) कुल 35 इकाईयों जिसका GSTN No. एक ही है, के गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स से संबंधित टैली में की गयी GST प्रविष्टयों का डाटा प्रदाय किया जावेगा। सी.ए. फर्म द्वारा संकलित कर परीक्षण उपरांत जमा योग्य राशि का चालान तैयार कर जिलेवार डाटा सहित मुख्यालय को उपलब्ध करवाना होगा ताकि मुख्यालय स्तर से नियत तिथि के पूर्व चालान अनुसार राशि शासकीय मद में जमा किया जा सके।

(2) GST TDS रिटर्न दाखिला हेतु उपरोक्त 35 इकाईयों जिसका GST TDS No. पृथक–पृथक है, के GST TDS से संबंधित टैली में की गयी प्रविष्टियों का डाटा प्रदाय किया जावेगा। जिसका परीक्षण उपरांत रिटर्न फाईलिंग का कार्य समयावधि में करना, एवं उसकी पावती संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

(3) मासिक आधार पर GSTR2A से मिलान कर संबंधित सी.ए. फर्म द्वारा GSTR-1 & GSTR-3B का विवरणी समय–सीमा में दाखिल करना।

(4) समय–समय पर गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स एवं जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. संबंधी संशोधनों की जानकारी विपणन संघ मुख्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार मांगे गए अभिमत से अवगत कराना।

(5) सी.ए. फर्म ऑफर प्रदाय करते समय GSTR-1 & GSTR-3B हेतु एक ऑफर मासिक दर पर (जी.एस.टी. अतिरिक्त) तथा GST TDS हेतु प्रत्येक इकाईवार मासिक दर (जी.एस.टी. अतिरिक्त) प्रदाय करें।

(6) यदि विपणन संघ द्वारा समय पर संपूर्ण डाटा प्रदाय करने के पश्चात् भी फर्म द्वारा निर्धारित अवधि के उपरांत विवरणी दाखिला करने के कारण विलंब की अवधि का ब्याज/पेनाल्टी विपणन संघ पर अधिरोपित की जाती है, तो संबंधित सी.ए. फर्म की जवाबदेही अधिकृत सी.ए. फर्म की मानी जायोगी।

(7) यदि विपणन संघ मुख्यालय एवं जिला कार्यालय/इकाई से रिटर्न दाखिला की अवधि के पूर्व जानकारी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्यालय को सूचित/अवगत कराया जाना होगा। यदि सूचित किये बिना रिटर्न फाईलिंग किया जाता है, तो संबंधित विभाग द्वारा लगाये जाने वाले ब्याज पेनाल्टी की जवाबदेही अधिकृत सी.ए. फर्म की मानी जायोगी।

क्रमशः ... 3 ...

(C) **फर्म का चयनः–** GST (GSTR-1 & GSTR-3B) रिटर्न तथा GST- TDS (GSTR-7) दाखिला की न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाले फर्म को प्रस्ताव दिया जावेगा, अगर फर्म का प्रस्तावित दर GST (GSTR-1 & GSTR-3B) रिटर्न के लिए किसी एक का न्यूनतम है व किसी एक फर्म का GST- TDS (GSTR-7) के लिए न्यूनतम है, तो पृथक–पृथक रूप से न्यूनतम दर वाले सी.ए. फर्म को प्रस्ताव दिया जावेगा।

(D) **भुगतान की प्रक्रियाः–**

1. चयनित दरों पर कार्य करने के उपरांत GST रिटर्न संबंधित विभाग में दाखिल किये जाने के पश्चात् 90% तथा शेष 10% GST ऑडिट के बाद भुगतान किया जावेगा।
2. GST TDS रिटर्न संबंधित विभाग में दाखिल किये जाने के पश्चात् 100% राशि का भुगतान किया जावेगा।
3. फर्म द्वारा निर्धारित अवधि के उपरांत जी.एस.टी. एवं जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. का विवरणी दाखिला किया जाता है, तो पेनाल्टी की राशि फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक से वसुली योग्य होगी।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

संपर्कः–
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
छठवीं मंजिल टावर "सी" कमर्शिय कॉम्प्लेक्स,
सी.बी.डी. सेक्टर 21, मुख्यालय,
अटल नगर, जिला–रायपुर 492002
दूरभाष कमांकः–0771–2425420 / 2425400
ई–मेलः– mf_ctrlroom_raipur@gov.in

(मो. इमरान खान)
मुख्यलेखाधिकारी
सह वित्तीय नियंत्रक